न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री छगन लाल गोयल आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या– 11/2016

प्रार्थी–निगरानीकर्ता

प्रेमाराम पुत्र गोपाराम जाति जटिया, ग्राम पालासनी, तहसील व जिला जोधपुर।

ब ना म

अप्रार्थीगण

1. शिवजी पुत्र रतनाराम राईका
2. ग्राम पंचायत पालासनी, तहसील व जिला जोधपुर जरिये सरपंच

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत पालासनी, दिनांक 24.09.1978 मिसल संख्या 03 के जरिये पंचायत राज नियम 266 के तहत पट्टा संख्या 03 दिनांक 24.09.1978 को जारी किया गया।

उपस्थितिः–

1. प्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री कानाराम गोदारा उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अभिभाषक श्री हरिराम भीम

आदेश

दिनांकः 12–03–2018

संक्षिप्त में पुनरीक्षण के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 02 ग्राम पंचायत पालासनी के आबादी भूमि विक्रय के नियमों के विरूद्व एंव निर्धारित प्रक्रिया से परे कार्यवाही कर मिसल संख्या 03 दिनांक 24.09.1978 जो अप्रार्थी संख्या एक शिवजी पुत्र रतनाराम राईका निवासी–पालासनी के पक्ष में जारी किया गया, को निरस्त कराने के लिए यह निगरानी धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत पेश हुई ।

पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी पक्ष को नोटिस जारी किये गये तथा ग्राम पंचायत पालासनी से मूल रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या एक की ओर से अभिभाषक श्री हरिराम भीम ने वकालतनामा पेश किया।

1. प्रार्थी पक्ष की ओर से निम्नलिखित दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपी पेश हुई जो पट्टा संख्या 03 की है।
   1. अप्रार्थी संख्या एक को जारी पट्टा विलेख संख्या 03 जो दिनांक 24.09.1979 छाया प्रतिलिपी।

2. अप्रार्थी एक की ओर से निम्नलिखित पेश की।

1. ग्राम पंचायत पालासनी बैठक कार्यवाही दिनांक 24.08.78 की प्रमाणित प्रतिलिपी
2. ग्राम सेवक एंव पदेन सचिव, ग्राम पंचायत पालासनी पत्रांक स्पेशल–1 दिनांक 28.11.2016 की छाया प्रति।
3. ग्राम पंचायत पालासनी की ओर से कोई उपस्थित नहीं। ग्राम पंचायत से निम्नलिखित मूल अभिलेख प्राप्त हुआ।
1. बैठक कार्यवाही रजिस्टर दिनांक 09.03.1978 से 9.2.79 तक व 01.04.1980 से 24.03.1981

4. सचिव, ग्राम पंचायत पालासनी ने अपने पत्रांक–स्पेशल नं 1 दिनांक 28.11.2016 के द्वारा अवगत कराया कि शेष रेकर्ड यथा मिसल, पट्टा रजिस्टर ग्राम पंचायत के रेकर्ड में उपलब्ध नहीं होना बताया।

प्रार्थी/निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक श्री के.आर. गोदारा ने अपनी बहस शुरू करते हुए प्रस्तुत निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 शिवजी के हक में ग्राम पंचायत पालासनी के तत्कालीन सरपंच ने विधि विरूद्व एवं पंचायती राज अधिनियम व नियमों की अनदेखी कर पट्टा जारी कर दिया जो निरस्त करने योग्य होना बताया।

प्रार्थी के योग्य वकील ने अपनी निरन्तर बहस में यह भी कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा में मिसल संख्या 03 कायम किया जाना व मिसल दायर दिनांक 24.08.78 अंकित है और दिनांक 24.08.78 को ग्राम पंचायत के संकल्प संख्या 03 इन्द्राज किया है और सरपंच की आज्ञा 03 दिनांक 24.09.1978 को जारी होना दर्शाया है और राशि भी दिनांक 24.09.79 को जमा होना अंकित है। पट्टा जारी दिनांक 24.09.79 अंकित है।

प्रार्थी अभिभाषक का यह भी कथन किया कि पट्टे में दर्शाई गई भूमि का बाजार मूल्य 1500/– रूपये आंके जाने का उल्लेख है और पट्टे की राशि 21/– रूपये जमा होना दर्शाया है। राजस्थान पंचायत एवं नया पंचायत (सामान्य) नियम 1961 के नियमों की पालना नहीं हुईः–

1. नियम 256 के प्रार्थना पत्र पेश नहीं हुआ।
2. नियम 258 के तहत मौका निरीक्षण नहीं हुआ।
3. नियम 259 के तहत भूमि पट्टे पर देने बाबत् कोई निर्णय नहीं किया गया है।
4. नियम 260 के तहत नोटिस प्रकाशित नहीं किया है।
5. नियम 265 की पालना नहीं हुई। पट्टे की भूमि की कीमत 1500/– रूपये आंकी जाकर 1000/– रूपये से उपर वाली राशि वाले भूमि को पट्टे पर देने से पूर्व (एडिशनल डिस्ट्रीक्ट डवलपमेन्ट ऑफिसर) से अनुमोदन करवाना आवश्यक होता है।
6. नियम 266 की पालना नहीं हुई। नियम 266 में दिया गया नियम के विपरित पट्टा जारी किया है।

प्रार्थी अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान न्यायालय का ध्यान न्यायिक दृष्टान्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आर.आर.टी. 2004 (2) पृष्ठ संख्या 921 पर हुए निर्णय एवम माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ का निर्णय 200 (3) डब्लू.एल.एन. पृष्ठ संख्या 642 के निर्णय अनुसार प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत पालासनी द्वारा जारी पट्टा विलेख संख्या 03 दिनांक 24.09.78 का खारिज करने का निवेदन किया।

अप्रार्थी संख्या एक के योग्य अभिभाषक श्री हरिराम भीम ने अपनी लिखित/मौखिक बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या एक शिवजी ने तत्कालीन पंचायत (सामान्य) नियम 1961 के नियम 256 के तहत प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत पालासनी के समक्ष पुराने रहवासीय कब्जा के आधार पर क्रय करने हेतु आवेदन किया। अप्रार्थी संख्या एक के प्रार्थना पत्र पर ग्राम पंचायत में सम्मिलित अन्य गांव खारी कला, खारी खुर्द व ग्राम गोलिया आदि की आबादी भूमि के मकानों व बाड़ा पुराने कब्जासुदा के पट्टे बनाने के लिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर कार्यवाही करने हेतु ग्राम पंचायत पालासनी के वार्ड पंच मिश्रीलाल ने प्रस्ताव रखा कि ग्राम पालासनी के वार्ड पंचो ने सर्व सम्मति से प्रस्ताव दिनांक 24.08.1978 पास किया उक्त प्रस्ताव का विवरण पंचायत कार्यवाही रजिस्टर सन् 1978 के पृष्ठ संख्या 15 पर इन्द्राज दिनांक 24.08.1978 पर उपलब्ध है। आलोच्य पट्टा का मौके का नक्शा भी बनाया गया जिस पर मिसल संख्या 03 दिनांक दायरा 24.08.1978 बनायी गयी। तत्कालीन प्रभावी नियमों के अनुसार मौका निरीक्षण हेतु पंचों की कमेटी बनायी गयी, पंचों की कमेटी ने मौका निरीक्षण कर आलोच्य पट्टा भूखण्ड का नाप स्थिति आदि जॉच कर मौका की स्थिति रिपोर्ट पंचायत को प्रस्तुत की। पंचो की रिपोर्ट अप्रार्थी संख्या एक शिवजी के पुराने कब्जे के कारण उसके पक्ष में विक्रय की राय व्यक्त करने से नियम 260 के अन्तर्गत आप्पतियां आमंत्रित करने हेतु नोटिस जन साधारण की सूचनार्थ जारी किया जाकर मौका पर चस्पा कराया बाद अवधि नोटिस पंचायत की बैठक दिनांक 24.09.1978 को अप्रार्थी शिवजी के पक्ष में कब्जासुदा रहवासीय भूखण्ड की मिसल संख्या 03 को फैसल किया गया और पट्टा नियमानुसार जारी किया गया। नियम 266 के अनुसरण में रकम 21/– रूपये की रसीद संख्या 25 दिनांक 24.09.1978 के जमा होने पर विक्रय विलेख जारी किया।

अप्रार्थी संख्या एक के योग्य अभिभाषक ने अपनी लिखित बहस में यह भी कथन किया कि निगरानीधीन आदेश दिनांक 24.09.1978 तत्कालीन पंचायत (सामान्य) नियम 1961 के नियम 270 के अनुसार अपीलीय आदेश था। जिसकी अपील निश्चित समय अवधि में पंचायत समिति में की जानी चाहिए थी, जो नहीं की गयी थी। इस सबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने चुन्नीलाल बनाम रेवेन्यु अपीलान्ट ओथोरिटी और अन्य एस0बी0 सिविल रिट पिटीशन संख्या 145/1979 निर्णय दिनांक 08.01.1986 जो 1986 डब्लू.एल.एन.(यू.सी.) पेज नं 272

में मार्गदर्शन किया है। जिसके अनुसरण में निगरानी याचिका को पोषणीय नहीं माना गया है।

अप्रार्थी संख्या एक के अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि आलोच्य पट्टा आदेश दिनांक 24.09.1978 को चुनौती लगभग 35–36 साल बाद निगरानी याचिका दी है जबकि प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या एक के पड़ोस में रहता है। इतनी लम्बी अवधि समय अवधि बाद पेश करने का उचित कारण का शपथ पत्र याचिका के साथ पेश नहीं किया है जो आप्पतिजनक प्रश्न है। माननीय उच्चतम न्यायालय व राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्न न्यायिक दृष्टान्त मार्गदर्शन करते हैः–

1. 2009 ए.आई.आर. एस.सी.डब्लू. 6305
2. 2002 डी.एन.जे. (राज.) 307
3. 2008 डी.एन.जे. (राज.) 735
4. 1986 डब्लू.एल.एन. (यू.सी) 524 इन न्याय दृष्टान्त के अनुसार निगरानी खारिज किये जाने योग्य बताया।

हमनें उभय पक्ष अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवम निगरानी पत्रावली का भी अवलोकन किया। इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रेकर्ड (बैठक कार्यवाही रजिस्टर) का भी अवलोकन किया। इस प्रकरण में यह एक तथ्यात्मक स्थिति है कि सरपंच ग्राम पंचायत पालासनी ने अप्रार्थी संख्या 1 शिवजी पुत्र रतनाराम जाति राईका को मिसल संख्या 03/24.08.1978 के जरिये पट्टा संख्या 03 को नियम 266 राज.प. एवम न्याय उप स. नियम 1961 के अन्तर्गत आबादी भूमि का हस्तान्तरण किया गया। इस प्रकरण में पदेन सचिव/ग्राम सेवक, पालासनी से मूल पत्रावली सख्या 03 की तलब करने पर ग्राम सेवक ने अपने पत्रांक दिनांक 28.11.2016 के द्वारा अवगत कराया कि मिसल संख्या 03 का मूल रेकर्ड ग्राम पंचायत के रेकर्ड में उपलब्ध नहीं है। बैठक कार्यवाही रजिस्टर वर्ष 09.03.1978 से 09.02.1979 व 01.04.1980 से 24.03.1981 उपलब्ध करवाया गया। बैठक कार्यवाही रजिस्टर का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 24.08.1978 आज्ञा संख्या 02 में यह अंकन है कि '' श्री वार्ड पंत्र मिश्रीलाल ने प्रस्ताव रखा कि ग्राम पालासनी व ग्राम खारी कला, खारी खुर्द, ग्राम गोलिया में पंचायत की आबादी भूमि के मकानों व बाड़ा पुराने कब्जासुदा के पट्टे बनाने के लिए स्वीकृति देने पर विचार किया जावे एवम सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया जाता है, पट्टे के लिए निचे प्रार्थी पट्टा बनाने के लिए अर्जियें पेश हुई। पट्टा बनाने के नियमों अनुसार सार कार्यवाही की जाय। प्रस्ताव संख्या 03 प्रकाश कंवर पत्नि परबतदान खारी कला, (2) लालाराम पुत्र भीखारामजी खारीकला, (3) देवासी शिवजी पुत्र.....पालासनी (4) सधन्यवाद समस्त प्रस्ताव पारित किये गये।''

उक्त प्रकरण में अप्रार्थी शिवजी पुत्र रतनाराम को पट्टा जारी करने से संबंधित कार्यवाही मिसल संख्या 3 दिनांक 24.08.78 पट्टा संख्या 3 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अप्रार्थी संख्या 1 शिवजी को जारी पट्टा संख्या 03 दिनांक 24.09.79 1500/– रूपये आंके जाने पर पंचायत के संकल्प संख्या 03 दिनांक 24.08.78 रूपये 21/– रसीद संख्या 22 दिनांक 24.09.79 जमा करवाये

गये और अप्रार्थी संख्या 1 शिवजी को दिनांक 24.09.1979 को पट्टा जारी किया जाना पाया गया। राजस्थान पंचायत एवम पंचायत (सामान्य) नियम 1961 में वर्णित नियम 265 की पालना नहीं की गई। नियम 265(3) (1–a) के तहत 1000/– रूपये से उपर वाली राशि वाले भूमि को पट्टे पर देने से पूर्व (एडिशनल डिस्ट्रीक्ट डवलपमेन्ट ऑफिसर) से अनुमोदन करवाना आवश्यक है जो ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की पालना नहीं की गयी।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पंचायत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत पालासनी द्वारा जारी शिवजी पुत्र रतनाराम जाति राईका निवासी– पालासनी को जारी पट्टा संख्या 03 दिनांक 24.09.79 एतद्व निरस्त किया जाता है।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 12–03–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर